

Ref No: PSB/HO/Shares Cell / 21 /2024-25

May 8, 2024

To,

BSE Limited, Department of Corporate Services, 25 th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. SCRIP ID : PSB SCRIP CODE : 533295	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. SYMBOL: PSB SERIES: EQ
--	--

Dear Sir,

Reg: Publication of Notice for Extraordinary General Meeting to be held on 31st May 2024.

This is in continuation to our letter dated 07.05.2024 wherein the Notice of the Extraordinary General Meeting had been forwarded to the stock exchanges. In this regard, Bank has also published the notice in the newspapers.

Accordingly, a copy of notice of Extraordinary General Meeting published in Business Standard (English & Hindi newspaper) on 08.05.2024 is forwarded for your reference.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully

Saket Mehrotra
Company Secretary



बुधवार, 8 मई 2024

बिज़नेस स्टैंडर्ड



पी.एस.बी

१६ प्रो. बरिचाल नो वी इंडिया

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

कॉरपोरेट कार्यालय : एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर,
नई दिल्ली - 110023

<https://punjabandsindbank.co.in/>

नोटिस

यह हमारे समाचार-पत्र नोटिस दिनांकित 30.04.2024 के संदर्भ में है जो एमसीए (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय) द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र के अनुसरण में शुक्रवार, 31 मई, 2024 को प्रातः 11.00 बजे निम्नांकित व्यवसायिक मदों पर विचार-विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक से संबंधित है :

मद संख्या 1 : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (प) के प्रावधानों तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं वोटों) विनियमन, 2008, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड पर यथासंशोधित आरबीआई मास्टर दिशानिर्देश दिनांकित 02.08.2019 तथा नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य निर्देशों/ दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) में से एक निदेशक का चुनाव करना।

मद संख्या 2 : बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री रवि मेहरा की नियुक्ति को अनुमोदित करना।

मद संख्या 3 : अर्हतप्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से ₹2000 करोड़ की कुल राशि के इक्विटी शेयर के निर्गम को अनुमोदित करना।

नोट :

• पूर्वांक दिशानिर्देशों के अनुपालन में, ईजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन समस्त शेयरधारकों को भेजी गई है जिनके ई-मेल पते बैंक/ निक्षेपागार सहभागी (ओं) के पास पंजीकृत है तथा हमारे समाचार-पत्र नोटिस दिनांकित 30.04.2024 के अनुसरण में उन शेयरधारकों को भी भेजी गई है जिन्होंने हमारे आरटीए, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। प्रासंगिक प्रपत्रों सहित ईजीएम के विस्तृत सूचना की प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://punjabandsindbank.co.in/>- शेयर बाजारों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा सीएसडीएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

• शेयरधारक, केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं और सहभागिता कर सकते हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं वोटों) विनियमन, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, गणपूर्ति (कोरम) के उद्देश्य से की जाएगी। ईजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश, ईजीएम की विस्तृत सूचना में उल्लिखित है।

• इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान : शेयरधारक नोट करें कि एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों (ई-मतदान नियम) के अनुसरण में बैंक, सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार के प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है तथा शेयरधारक, मतदान के लिए सीएसडीएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करें।

• निर्दिष्ट तारीख/ अंतिम तारीख :

मद संख्या 1 : सूचना में उल्लिखित अनुसार चुनाव में सहभागिता अर्थात् नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चयन हेतु मतदान के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट तारीख/ अंतिम तारीख, शुक्रवार, 03 मई, 2024 नियत की गई है।

मद संख्या 2 व 3 : बैठक में उपस्थिति एवं मतदान के लिए निर्दिष्ट तारीख/ अंतिम तारीख, गुरुवार, 23 मई, 2024 नियत है।

• उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 16 मई, 2024, अपराह्न 04:00 बजे है।

• निर्दिष्ट तिथि/ अंतिम तिथि (जैसा कि ऊपर बताया गया है) को शेयर धारित करने वाले शेयरधारक, ई-मतदान हेतु लॉगिन आई-डी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सूचना में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करें। व्यक्ति, जिसका नाम निर्दिष्ट तिथि/ अंतिम तिथि को शेयरधारकों/ हितधारकी स्वामियों (सहभागियों) के पास अनुरक्षित) के रजिस्टर में अभिलिखित है, केवल वे ही दूरस्थ ई-मतदान/ ईजीएम में ई-मतदान सुविधा के लिए पात्र होंगे।

• सोमवार, 27.05.2024 को प्रातः 10.00 बजे दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा गुरुवार, 30.05.2024 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास ऊपर उल्लिखित अनुसार निर्दिष्ट तिथि/ अंतिम तिथि को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान कर सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए सीएसडीएल द्वारा ई-मतदान मॉड्यूल बंद कर दी जाएगी तथा दिनांक 30.05.2024 को अपराह्न 05.00 बजे के उपरांत दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं होगी। संकल्प पर एक बार मतदान के पश्चात्, सदस्यों को उसमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के खंड 3 के उपखंड (2 E) की शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त तदनुसूची नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयर के संबंध में, बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।

• यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

• ई-मतदान नियमों के अनुसार, केवल उन शेयरधारक को ईजीएम में ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान की अनुमति होगी जो ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्त्या ऐसा करने से नहीं रोका गया है। दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पश्चात् भी शेयरधारक, ईजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें ईजीएम में पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी।

• शेयरधारक जिनके पास निर्दिष्ट तिथि/ अंतिम तिथि को शेयर भौतिक रूप में है तथा/या जिन्होंने हमारे नोटिस दिनांकित 30.04.2024 के अनुसरण में बैंक/ निक्षेपागार सहभागी (ओं)/आरटीए के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि दूरस्थ ई-मतदान या ईजीएम में ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए बैंक वेबसाइट अर्थात् <https://punjabandsindbank.co.in/> पर उपलब्ध ईजीएम सूचना के उल्लिखित अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण करें।

• बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। शेयर बाजार जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, को भी परिणाम तुरंत अप्रोषित किए जाएंगे।

• यदि आपको ईजीएम में सहभागिता करने और सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

• इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल) से सेंट्रल डिपेंडेंटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वाँ तल, मेरथान फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेड (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें अथवा टोल-फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें।

• शेयरधारकों से अनुरोध है कि किसी अन्य जानकारी/ प्रक्रिया के लिए ईजीएम के विस्तृत सूचना का अवलोकन करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

साकेत मेहरोत्रा

कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 07 मई, 2024



ਪੰਜ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi – 110008

Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar,
New Delhi - 110023<https://punjabandsindbank.co.in/>**NOTICE**

This has reference to our newspaper notice dated 30.04.2024 regarding Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on **Friday, the 31st day of May, 2024** at 11.00 a.m. in accordance with the various circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) read with the circulars issued by MCA (Ministry of Corporate Affairs) to transact the following business:

Agenda Item No. 1: To elect **ONE** Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) pursuant to the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008, RBI Master Directions on "Fit and Proper" criteria for Elected Directors on the Board of PSB's dated August 02, 2019, as amended, and other applicable Directives / Guidelines issued by Regulatory Authorities.

Agenda Item No. 2: To approve appointment of Sh. Ravi Mehra as Executive Director of the Bank

Agenda Item No. 3: To approve Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement up to an amount of Rs.2000 crore

Notes

- In compliance of the aforesaid guidelines, electronic copies of the notice of the EGM have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depository Participant(s) and also to those shareholders who have got their email addresses registered with our RTA, M/s Link Intime India Private Limited, pursuant to our newspaper publication dated **30th April, 2024**. A copy of the detailed notice of the EGM along with relevant forms is available on the website of the Bank i.e. <https://punjabandsindbank.co.in/>, the website of the stock exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

- Shareholders can join and participate in the EGM through VC / OAVM facility only. Shareholders participating through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank. The instructions for participating in the EGM through VC / OAVM are set forth in the detailed notice.

- Voting through Electronic Means:** Shareholders may please note that in compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (E-voting Rules), read with the MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by CDSL and the shareholders may follow the procedure for the same as detailed in the Notice available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Cut-off date / Specified Date:

For Agenda No 1: Friday, the 03rd May 2024 has been fixed as the Specified / Cut-off date for the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e., **Nominate, Contest and Vote** in the Election of One Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

For Agenda No 2 & 3: Thursday, the 23rd May 2024 for attendance at the meeting and voting.

The last date for receipt of Nominations from candidates is Thursday, 16th May, 2024 by 04:00 p.m.

- The shareholders holding shares as on the specified date / cut-off date (as detailed above), may follow the procedure as provided in the notice for obtaining the Login id and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of shareholders / Beneficial owners (maintained with the depositories) as on the specified date / cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the EGM.

- The remote e-voting period begins on at 10.00 am on **Monday, 27th May, 2024** and ends at 5.00 pm on **Thursday, 30th May 2024**. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the specified date / cut-off date mentioned above, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 PM on **30th May 2024**. Once the vote is casted by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

- In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

- If any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

- In terms of e-voting rules, only those shareholders, who are present in the EGM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be allowed to vote through e-voting system at the EGM. A shareholder may participate in the EGM even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again at the EGM.

- Shareholders holding shares in physical form as on cut-off date and / or those who have not registered their email ids with the Bank / Depository Participant(s) / RTA pursuant to our notice dated **30th April, 2024**, are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the EGM, as stipulated in the notice of the EGM available on the website of the Bank i.e. <https://punjabandsindbank.co.in/>

- The results declared, along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank <https://punjabandsindbank.co.in/> and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman of the Meeting or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges whereat the equity shares of the Bank are listed.

- If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futreux, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

- Shareholders are requested to refer the detailed notice of the EGM as available aforesaid for any other information / procedure.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK
Saket Mehrotra
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 07 May, 2024